



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022025-260760
CG-DL-E-04022025-260760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2025/माघ 15, 1946

No. 596]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025/MAGHA 15, 1946

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2025

का.आ. 600(अ).—यतः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या- का.आ. 2718 (अ), 20 अक्टूबर 2014 और का.आ. 2719 (अ), 20 अक्टूबर 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र के पुनर्गठन को अधिसूचित किया।

यतः उपर्युक्त अधिसूचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 26 सितम्बर 2022 के पत्र संख्या 15/15/2015(ई आरआरबी-(के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं के विभाजन हेतु एक कार्य दल का गठन किया।

यतः कार्य समूह ने 28 मार्च 2023 के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या एनबी.एचओआईडीडी.आरआर बी रिकैप/1347/आरआरबी-316 (रिऑर्ग डब्ल्यूजी)/2022-23 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यतः इस योजना को हितधारकों, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक दोनों का प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं, को परिचालित किया गया।

यतः उपर्युक्त संदर्भित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, सरकार ने 13 नवंबर 2024 के पत्र सं. फा.सं. 15/15/2015(ई)-आरआरबी के माध्यम से आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं के विभाजन की योजना को अनुमोदन प्रदान किया है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कार्य दल की अनुशंसाओं के अनुसार इस प्रक्रिया को कैलेंडर वर्ष 2024 के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया और यह 01 जनवरी, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा।

एतद् द्वारा, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (इसके पश्चात् “अधिनियम” के रूप में यथा संदर्भित) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के भाग जो तेलंगाना राज्य में परिचालनरत है, को 20 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना संख्या 2718(अ) के अनुसरण में एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन का प्रावधान करती है, जो 1 जनवरी 2025 (इसके पश्चात् “समामेलन की प्रभावी तिथि” के रूप में यथा संदर्भित) से प्रभावी होगा और जिसके साथ निम्नलिखित संरचना, संपत्ति, शक्तियाँ, अधिकार, हित, प्राधिकरण और विशेषाधिकार; तथा निम्नलिखित देयताएँ, कर्तव्य और दायित्व निर्दिष्ट की जाती हैं:-

1. तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के तेलंगाना राज्य में परिचालित हिस्से (इसके पश्चात् “अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक” के रूप में यथा संदर्भित), जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, को एतद् द्वारा एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है, जिसे तेलंगाना ग्रामीण बैंक (इसमें इसके पश्चात् “अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक” के रूप में यथा संदर्भित) कहा जाएगा। इसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में होगा और यह भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजकत्व में रहेगा।
2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूँजी दो हजार करोड़ रुपये होगी, जो प्रत्येक दस रुपये के दो सौ करोड़ पूर्ण रूप से संदत्त शेयरों में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूँजी अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूँजी के बराबर होगी और इस प्रकार, अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की संपूर्ण अभिदत्त शेयर पूँजी को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में अंतरित और उसकी अभिदत्त शेयर पूँजी मानी जाएगी।
3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की संपूर्ण शेयर पूँजी और शेयर पूँजी जमा निम्नलिखित होगी:-

1	शेयर पूँजी	
(क)	केंद्र सरकार	अट्ठाईस करोड़ चौसठ लाख चौतीस हजार सात सौ नब्बे रुपये मात्र.
(ख)	राज्य सरकार	आठ करोड़ उनसठ लाख तीस हजार तीन सौ रुपये मात्र.
(ग)	प्रायोजक बैंक	बीस करोड़ पाँच लाख चार हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र.
2	शेयर पूँजी जमा	शून्य रुपये मात्र.

4. समामेलन की प्रभावी तिथि से, अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अर्थात् तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का तेलंगाना राज्य में परिचालित भाग, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा, किसी भी जमाकर्ता को भुगतान करने या किसी लेनदार की देयताओं या दायित्वों का निपटान करने सहित व्यवसाय संचालन करना समाप्त कर देंगे।

5. समामेलन की प्रभावी तिथि से, अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में हस्तांतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे;

क) अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकरण, विशेषाधिकार, चल-अचल संपत्तियाँ, नकद शेष, आरक्षित निधि, निवेश, और ऐसी संपत्तियाँ या उनसे उत्पन्न होने वाले अधिकार और हित, चाहे वे भारत में हों या भारत से बाहर, जो इस अधिसूचना के लागू होने से पूर्व उनके स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रण में थीं, साथ ही सभी बही पुस्तिकाएँ, रजिस्टर, अभिलेख और उससे संबंधित अन्य सभी दस्तावेज चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो तथा अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सभी उधारी, देयताएँ और मौजूदा दायित्व अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समाहित माने जाएंगे;

ख) सभी संविदाएँ, विलेख, बॉण्ड, करार, गारंटी, मुख्तारनामा, विधिक प्रतिनिधित्व का अनुदान और अन्य लिखत, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों या जो इस अधिसूचना के प्रारंभ से ठीक पहले प्रभाव में थे और जिसमें अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्षकार के रूप में हैं या जो अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूर्ण रूप से अंतरिती प्रादेशिक

ग्रामीण बैंक के पक्ष और विपक्ष में लागू माने जाएँगे और उन पर उसी पूर्णता और प्रभावशीलता के साथ अमल किया जाएगा या उन्हें लागू किया जाएगा, जैसे अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पक्षकार रहा हो, या वे दस्तावेज़ अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किए गए हों;

ग) यदि समामेलन की प्रभावी तिथि पर अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय से संबंधित कोई वाद, अपील या अन्य विधिक प्रक्रिया, चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो, लंबित है या उनके खिलाफ है, तो यह प्रक्रिया इस अधिसूचना में निहित किसी भी प्रावधान के कारण बाधित, समाप्त या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी या इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी वाद, अपील या अन्य प्रक्रिया को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा उसी प्रकार से जारी, कार्यान्वित और लागू किया जाएगा, जैसे कि यह प्रक्रिया पहले से ही अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के खिलाफ चल रही हो;

घ) किसी भी करार, संविदा, अभिहस्तांतरण, हस्तांतरण-पत्र, मुख्तारनामा या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज़, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, में अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का कोई भी उल्लेख, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के उल्लेख के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के अधिकार और दायित्व, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अधिकार और दायित्व माने जाएँगे।

6. (क) प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता, या किसी अन्य प्रकार का जमा खाता, जिसमें सावधि जमा, नकद प्रमाण-पत्र, मासिक जमा, मांग पर देय जमा, अल्प सूचना पर देय जमा, या किसी भी अन्य नाम से ज्ञात कोई भी जमा खाता शामिल हो, जो अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास है, उसके संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तिथि पर ऐसे खाताधारक (खाताधारकों) के नाम पर एक समान और संबंधित खाता खोलेगा और उसमें देय ब्याज सहित संपूर्ण राशि जमा करेगा:

परंतु यदि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी विशेष खाते में प्रविष्टियों की शुद्धता के संबंध में उचित संदेह हो, तो वह प्रायोजक बैंक की अनुमोदन से उस खाते में जमा को विलय की प्रभावी तिथि से तीन महीने की अधिकतम अवधि तक रोक सकता है। इस अवधि के भीतर, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा।

(ख) प्रत्येक अन्य देयताओं के संबंध में, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार यह अधिसूचना अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय, संपत्तियों, आस्तियों और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और दायित्वों, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के लिए पर्याप्त अभिहस्तांतरण होगी।

7. (क) परिचालन संबंधी पहलुओं, जिसमें मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, का निर्णय वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के 13 नवंबर 2024 को जारी वित्तीय सेवाएँ विभाग के पत्र सं. एफ.सं.15/15/2015(ई)-आरआरबी के पैरा 2 (v) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाएगा।

(ख) कार्य दल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का अनुप्रवर्तन और कर्मचारियों द्वारा किसी विशेष प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के प्रति असमान विकल्प चुनने सहित किसी भी कठिनाई, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, 13 नवंबर 2024 को जारी भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.सं.15/15/2015(ई)-आरआरबी के पैरा 2(vi) के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को बैंक और लोक हित में अपने कार्यक्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर कर्मचारियों की पदास्थापित या नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र, अंतरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों अर्थात् तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के तेलंगाना राज्य में परिचालित भाग का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा:

10. जब तक इस अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, अधिनियम के प्रावधान अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसे ही लागू होंगे, जैसे इसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित किया गया हो।

[एफ. सं. 7/6/2024-आरआरबी(10)]

एम.पी. तंगिराला, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2025

S.O. 600(E).—Whereas consequent upon the bifurcation of the state of Andhra Pradesh as per the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) notified reorganisation of area of operation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank *vide* notification number S.O. 2718 (E) dated the 20th October, 2014 and S.O. 2719 (E) dated the 20th October, 2014.

Whereas to give effect to the above said notifications, the Government *vide* letter No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 26th September, 2022 constituted a Working Group for giving effect to the bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, between the States of Andhra Pradesh and Telangana.

Whereas the Working Group submitted its report *vide* National Bank for Agriculture and Rural Development's letter number NB.HOIDD.RRB Recap/1347/RRB-316 (Reorg WG)/2022-23 dated the 28th March, 2023. Whereas the Scheme was circulated to the stakeholders including the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, National Bank for Agriculture and Rural Development and State Bank of India being the Sponsor Bank of both Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank.

Whereas based on consultation with the stakeholders as referred to above, the Government has approved *vide* letter F.No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 the scheme for bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and requested National Bank for Agriculture and Rural Development to complete the whole process within the Calendar year 2024 and becomes effective from the 1st January, 2025 as per the recommendations of the Working Group.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as “the Act”), the Central Government hereby provides for the amalgamation of Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana pursuant to Notification No.2718(E) dated the 20th October, 2014 into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from **the 1st day of January, 2025** (hereinafter referred to as the “effective date of amalgamation”) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (hereinafter referred to as “the transferor Regional Rural Bank”) sponsored by State Bank of India in the State of Telangana is hereby amalgamated into single Regional Rural Bank, which shall be called as **Telangana Grameena Bank** (hereinafter referred to as “the transferee Regional Rural Bank”) with its head office at **Hyderabad** under the sponsorship of **State Bank of India**.
2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under:-

1	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees Twenty eight crore sixty four lakh thirty four thousand seven hundred ninety only.
(b)	State Government	Rupees Eight crore fifty nine lakh thirty thousand three hundred only.
(c)	Sponsor Bank	Rupees Twenty crore five lakh four thousand three hundred fifty only.
2	Share Capital Deposit	Rupee Zero Only.

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation as per this notification.
5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;
- the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
 - all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
 - if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against, the transferee Regional Rural Bank;
 - any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.
6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:
- Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account.
- (b) In respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.
7. (a) The operational aspects including issues relating to human resources shall be decided as per Government's instructions to National Bank for Agriculture and Rural Development *vide* para 2(v) of DFS letter No. F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024.
- (b) For overseeing implementation of the Working Group recommendations and removing difficulties including disproportionate option by the employees towards any particular Regional Rural Bank, if any, an Empowered

Committee has been constituted by National Bank for Agriculture and Rural Development in terms of para 2(vi) of DFS letter F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 of Government of India.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024-RRB(10)]

M.P. TANGIRALA, Addl. Secy.